

सीजीटीएमएसई के सभी सदस्य ऋणदात्री संस्थान (एमएलआई) - सीजीएस - I, II और III

परिपत्र संख्या 258/2025 – 26

महोदया/प्रिय महोदय,

क्रेडिट गारंटी योजनाओं में संशोधन – अन्य पक्ष (थर्ड पार्टी) गारंटी

क्रेडिट गारंटी योजनाओं के तहत अन्य पक्ष (थर्ड पार्टी) गारंटी (टीपीजी) की परिभाषा की समीक्षा की गई है और निम्नानुसार संशोधन किया गया है:

सीजीटीएमएसई के मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार, "अन्य पक्ष (थर्ड पार्टी गारंटी)" का अर्थ है एक सदस्य ऋण देने वाली संस्था द्वारा उधारकर्ता को दी गई ऋण सुविधा के संबंध में प्राप्त कोई भी गारंटी, सिवाय इसके कि: (i) एकल स्वामित्व के मामले में एकमात्र-मालिक द्वारा ; (ii) साझेदारी या सीमित देयता भागीदारी (एलएलपी) फर्म के मामले में भागीदार द्वारा ; (iii) ट्रस्ट के मामले में ट्रस्टी; (iv) हिन्दू अविभाजित परिवार (एचयूएफ) के मामले में कर्ता और सहदायिक द्वारा ; (v) प्राइवेट या पब्लिक लिमिटेड कंपनी के मामले में प्रवर्तक निदेशक; या (vi) हाइब्रिड या आंशिक संपार्श्विक प्रतिभूति मॉडल के तहत गारंटी के मामले में संपार्श्विक प्रतिभूति के मालिक द्वारा दी गयी गारंटी को छोड़कर है।

इस मामले की समीक्षा की गई और पूर्वगामी के बावजूद, जहां भी एक सह-बाध्यकारी या सह-उधारकर्ता जो ऋण- करार का हस्ताक्षरकर्ता है: (ए) सह-उधारकर्ता या सह-बाध्यकारी के रूप में एकमात्र मालिक या व्यक्ति है ; (बी) सह-उधारकर्ता या सह-बाध्यकारी साझेदारी या एलएलपी के भागीदार है ; (ग) सह-उधारकर्ता या सह-बाध्यकारी ट्रस्ट के ट्रस्टी है ; (घ) सह-उधारकर्ता या सह-बाध्यकारी एचयूएफ है या (ई) सह-उधारकर्ता या सह-बाध्यकारी कंपनी के प्रवर्तक निदेशकों के कर्ता और सहदायिक है, तो उसके द्वारा दी गई व्यक्तिगत गारंटी को तीसरे पक्ष की गारंटी के रूप में नहीं माना जाएगा।

कृपया इस परिपत्र की विषय-वस्तु को अपने सभी अधिकारियों के ध्यान में लाएँ।

भवदीय,

(धीरज कुमार)

उप महाप्रबंधक